भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

2 री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड,चर्चगेट, मुंबई - 400 020., दूरभाष क्र.- (022)22039680,फॅक्स - 22086984. ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984 e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

Date: 08/02/2023

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/22/Govt/61234417/**Chhattisgarh**/Ch.5/जा.सं. 61105528

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
   लेखा-कोा भवन, ए विंग,
   बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
   मुंबई-400 051.

विषय --1) **Revised rate of Dearness Relief to State Govt. pensioners @33% w.e.f. 01/10/2022. (Enhaced from 28% to 33%) as per Seventh Pay Commission AND Dearness Relief @201% w.e.f. 01/10/2022. (Enhanced from 189% to 201%) as per Sixth Pay Commission.**

संदर्भ --1)**Govt. of Chhattisgarh, Finance Deptt. Order No.771/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV dated 15/11/2022.**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Chhattisgarh, Raipur** के पत्र संख्या **P.A./Chhattisgarh/.पेंशन/राहत/452** दिनांक 21/12/2022 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Chhattisgarh** सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. cag.gov.in/ae/mumbai/en.**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
वरीप लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/22/Govt/61224417/Chhattisgarh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), Chattisgarh Raipur के पत्र संख्या **P.A./Chhattisgarh/.पेंशन/राहत/ 652** दिनांक 21/12/2022.

वित्त निर्देश 32/2022

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 771/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.11.2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

---0---

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 607/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 14.09.2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.08.2022 से 28% (सातवें वेतनमान में) एवं 189% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:–

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	33%
छठवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 12%	201%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम–2/चार, दिनांक 5–10–76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की

Ts. no. 1834
EDP(SP)

पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम–2/चार, दिनांक 27–7–76 सहपठित ज्ञापन एफ. बी.6/10/77/नि–2/चार, दिनांक 2–5–77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24–7–2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई–4/1–83/नि–5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश राव)
अवर सचिव